प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 ....61/2023............ दिनांक............16/3/2023............

2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं.................... 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम..धाराऐं ....

(3) अधिनियम..धाराऐं..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 14.03.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 10.03.2023 समय :– 08.00 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....268.......... समय..........6:00 PM..........

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 45 कि0मी0 बजानिब दक्षिण पूर्व दिशा
बीट संख्या..जुरामदेही सं..
(ख) पताः– परिवादी का बकानी कस्बे की ज्योति नगर कॉलोनी में स्थित मकान के अन्दर का ड्राईग रूम
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री बालमुकुन्द
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री भैरूलाल जाति गुर्जर
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 52 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– निवासी लोढ़ाखेड़ा हाल निवास बालिका छात्रावास के पास ज्योति नगर कॉलोनी बकानी थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रिछवा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्री रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 3,00,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष निवासी लोढ़ाखेड़ा हाल निवास बालिका छात्रावास के पास ज्योति नगर कॉलोनी बकानी थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रिछवा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर

स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटो प्रति के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित एवं उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि मैं ग्राम पंचायत रीछवा में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूं तथा मेरे पास ग्राम पंचायत देवनगर का अतिरिक्त चार्ज भी है। पिछले वित्तिय वर्ष में ग्राम पंचायत देवनगर में मनरेगा के तहत मॉडल स्कूल में खेल मैदान, इण्टरलोकिंग खरन्जा व नाली निर्माण कार्य भूमाड़ी रोड़ तक निपानिया दल्ला, देवनारायण मन्दिर के सामने भूमाड़ा तथा सुभाष के मकान से शिव मन्दिर तक देवनगर में कार्य तथा नाला निर्माण कार्य मैन रोड़ से मांगीलाल के मकान की और देवनगर में मैसर्स रामेश्वर ट्रेडर्स फर्म द्वारा कार्य करवाये गये थे। उक्त कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) मेरे व ग्राम पंचायत देवनगर के सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद जारी कर पंचायत समिति बकानी को भेज दिये थे। इन बिलों में से टीडीएस काटने के पश्चात् लगभग 39.86 लाख रूपये के बिलों का भुगतान अब तक हो चुका है। लगभग 3.85 लाख रूपये के बिलों का भुगतान फर्म को होना शेष है। कुल कार्य लगभग 46 लाख रूपये के हुए थे। फर्म द्वारा कमीशन के रूप में 7प्रतिशत राशि का भुगतान सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल को देना तय हुआ था, परन्तु फर्म द्वारा बिलों का भुगतान उठाने के बाद सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर श्री रामबाबू मेघवाल को 7प्रतिशत कमीशन के हिसाब से लगभग 3.22लाख रूपये का भुगतान कमीशन के रूप में नहीं दिया गया। इस पर सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने फर्म द्वारा कराये गये कार्यों के बिलों पर हस्ताक्षर किये थे। इस पर मैंने कहा कि जब फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर दिये गये है तो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना जरूरी था। मैं ग्राम विकास अधिकारी होने के नाते उनके बिलों का भुगतान कैसे रोक सकता था। इस पर सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल ने मुझसे कहा कि फर्म से तुम मुझे मेरे कमीशन के 3.22लाख रूपये दिलावों नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। यदि फर्म कमीशन के रूप में नहीं देती है तो तुम मुझे अपने पास से मेरे कमीशन के 3.22लाख रूपये लाकर दो। इस प्रकार सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल मुझे कमीशन के 3.22लाख रूपये देने के लिए मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तथा दबाव बना रहा है। मैं किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लेता हूं। सरपंच मुझे भी कमीशन लेने के लिए बोलता है कि तुम भी तुम्हारा प्रतिशत ले लेना। श्री रामबाबू सरपंच मुझसे कमीशन की बात कहकर रिश्वत के रूप में 3.22लाख रूपये मुझसे मांग रहा है तथा एकमुश्त देने के लिए बोल रहा है। मैं श्री रामबाबू सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर को रिश्वत के रूप में 3.22लाख रूपये नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच से कोई पुरानी रंजीश नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई पुराना लेनदेन या उधारी के रूपये बाकी है। परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 08:30 एएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को चालू, बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के बारे में बकानी होने की जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह कॉनि0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से बकानी के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 11:45 एएम पर परिवादी बालमुकुन्द गुर्जर व श्री देवदान सिंह कॉनि0 कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री देवदान सिंह कॉनि0 ने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ हालत में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया तथा परिवादी बालमुकुन्द गुर्जर ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं व श्री देवदान जी आपके निर्देशानुसार अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बकानी पहुंचे। बकानी मुझे घर पर थोड़ा काम था। इसलिये मैं देवदान जी को साथ लेकर मेरे घर पर चला गया था तथा देवदान जी घर के बाहर ही रूक गये थे। मैं अपने घर के अन्दर गया, तभी रामबाबू सरपंच साहब का मेरे मोबाईल पर फोन आया कि कहां हो इस पर मैंने, उनसे कहा कि अभी तो मैं बकानी घर पर ही हूँ। इस पर सरपंच साहब ने कहा कि तुम घर पर ही रूकना मैं, अभी तुम्हारे घर पर ही आ रहा हूँ। इस पर मैंने बाहर आकर सारे हालात् देवदान जी को बताये तथा यह भी बताया कि रामबाबू जी सरपंच साहब अभी मेरे घर पर ही आ रहे हैं और वह मुझसे घर पर ही रिश्वत सम्बन्धी वार्ता कर लेंगे। उसके पश्चात् मैं मेरे घर पर ही ड्रांईगरूम में बैठ गया तथा मेरे कहने पर देवदान जी साईड वाले कमरे में बैठ गये थे। उसके थोड़ी देर बाद ही सरपंच साहब श्री रामबाबू जी व उनके साथ तीन अन्य व्यक्ति भी मेरे घर पर आये थे। इसके पश्चात् ड्रांईगरूम में बैठ कर ही मेरी सरपंच साहब रामबाबू जी व अन्य से वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। वार्तालाप में सरपंच रामबाबू को मैंने बताया कि, फर्म ने काम पूरा कर दिया है और उसके 46 लाख रूपये के बिल फीड हो गये हैं तथा 40 लाख रूपये फर्म के आ भी गये

हैं और जो कुछ बाकी है वह भी आ जायेंगे। सरपंच साहब ने मुझसे फर्म के 46 लाख रूपये के बिल पास करने की एवज् में 7% कमीशन के हिसाब से 3,22,000/–रूपये की मांग की थी। मेरे कम करने का कहने पर सरपंच साहब तीन लाख रूपये लेने के लिये सहमत हो गये हैं और तीन लाख रूपये सोमवार के दिन सुबह जल्दी देने के लिये कहा है। वार्ता के बाद सरपंच साहब व अन्य व्यक्तियों के मेरे घर से चले जाने के बाद मैंने साईड के कमरे में जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर देवदान जी को दे दिया था, जिन्होने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया था। उसके पश्चात् मैंने सारे हालात् देवदान जी को बताये थे। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया कि हमारे बीच जो भी वार्ता हुई थी उसको मैंने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान कॉनि0 से पूछने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को सोमवार दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 06.30 बजे तक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 3,00,000रूपये की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01:00 पीएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा सोमवार दिनांक 13.03.2023 को सुबह जल्दी रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना देखते हुए दिनांक 13.03.2023 को की जाने वाली कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ के नाम पत्रांक 273 दिनांक 10.03.2023 जारी कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर सोमवार दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 06:30 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द करने हेतु रवाना किया गया। समय 02:00 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कॉनि0 नं0 279 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ से दो स्वतंत्र गवाह को सोमवार दिनांक 13.03.2023 समय 06. 30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर पाबन्द शुदा गवाहों का कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ का जारी शुदा पत्रांक 907 दिनांक 10.03.2023 लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर पेश किया जिसको बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 12.03.2023 समय 02:30 पीएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ने जरिये वॉटस्अप कॉल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि काफी प्रयास के बाद भी आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 3,00,000रूपये में से 50,000रूपये की ही व्यवस्था हो पायी है, शेष राशि ढाई लाख रूपये की राशि मनोरंजन बैंक के डमी नोटों की व्यवस्था कर सकता हूं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देश दिये गये कि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के नोट तथा शेष ढाई लाख रूपये मनोरंजन बैंक के नोटों की डमी करेंसी की व्यवस्था कर दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 06.30 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आवें। दिनांक 13.03. 2023 समय 07:30 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री योगेश कुमार पुत्र श्री किशनचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 40 साल निवासी देवली अरब वार्ड नम्बर 20 तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक आबकारी विभाग खण्डिया कॉलोनी खानपुर रोड़ झालावाड़ व श्री रामप्रकाश मीणा पुत्र श्री छोटूराम मीणा जाति मीणा उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम पपराला पोस्ट पेंच की बावड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल जमादार आबकारी विभाग खण्डिया कॉलोनी खानपुर रोड़ झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। समय 07:40 एएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के नोट व ढाई लाख रूपये मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी के नोट लेकर आया हूं। परिवादी ने यह भी बताया कि आज श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच साहब गांव में ही उपस्थित है तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार कार्यालय जिला आबकारी विभाग, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री बालमुकुन्द द्वारा दिनांक 10.03.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 07:50 एएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर व आरोपी

श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच तथा सरपंच के साथ आये दो अन्य व्यक्तियों के मध्य रिश्वत मांग की गोपनीय वार्ता हो चुकी है। इस पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 10.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच, तीसरी आवाज श्री रामलाल व चौथी आवाज सरपंच के काकाजी की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09:10 एएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार के समक्ष अपने पास से 500–500रूपये की एक गड्डी कुल 100 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 50,000रूपये पेश किये एवं शेष रूपयों की व्यवस्था नहीं होने से 2,50,000रूपये 500–500रूपये के भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाले मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी की 05 (पांच) गड्डियां जिनमें प्रत्येक गड्डी में 500–500रूपये के 100 डमी करेंसी के नोट है, प्रस्तुत की। परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 50,000रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 100 नोट असली भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 50,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री योगेश कुमार से परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी एवं डमी करेंसी की पांचों गड्डियों को पेन्ट की साईड की बायीं जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात वह रिश्वत राशि को कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार एवं परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख

रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10:30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279, श्री देवदान सिंह कानि0 425, श्री शिवराज कानि0 166 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब बकानी की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे-आगे परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को उसकी स्वय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 11:40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से कस्बा बकानी से कुछ दूरी पर रोड़ पर साईड में रूका परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे मिलने वाले से मेरी मोबाईल पर बात हुई थी जिसने बताया है कि आज सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल पंचायत समिति बकानी में ही रहेगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को उसकी मोटर साईकिल से पंचायत समिति बकानी के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से पंचायत समिति बकानी के नजदीक पहुंचा तथा प्राईवेट वाहन से श्री देवदान सिंह कानि0 व श्री पवन कुमार कानि0 को उतार कर पैदल-पैदल पंचायत समिति बकानी में परिवादी की निगरानी हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व अन्य जाब्ते के सरकारी व प्राईवेट वाहनों में कुछ दूरी बनाकर पंचायत समति बकानी के नजदीक ही रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि देने की प्रतीक्षा में वाहनों में ही मुकीम रहे। समय 05:40 पीएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर बिना कोई ईशारा किए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया व बताया कि मैं आपके बताये अनुसार पंचायत समिति बकानी में पहुंचा। जहां पर सरपंच श्री रामबाबू मेघवाल की तलाश की तो मिटिंग में बैठा हुआ था जिसका मिटिंग समाप्त होने पर बाहर आने का इंतजार करता रहा। लगभग शाम 03.20 बजे करीब मिटिंग समाप्त होने पर सरपंच साहब बाहर आये तो मैं उनके पास पहुंचा तो सरपंच साहब ने मुझे बताया कि तुम मेरा यही इंतजार करो मैं अभी एक घण्टे बाद में आता हूं। उसके बाद सरपंच साहब श्री रामबाबू मेघवाल 4-5 अन्य व्यक्तियों के साथ पंचायत समिति बकानी से बाहर निकल गये थे। मैं पंचायत समिति बकानी में ही बैठकर सरपंच साहब का इंतजार करता रहा लेकिन वह अभी तक भी पंचायत समिति बकानी में नहीं आये है ना ही मेरे पास कोई कॉल कर सूचना दी है। काफी इंतजार के बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आया हूं। ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर, हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 06:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर, दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान जाब्ता के सरकारी/प्राईवेट वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से दो लिफाफे निकलवाये व परिवादी के पास रखी ट्रेप राशि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के व 2,50,000रूपये मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी को दो पृथक-पृथक लिफाफों में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान और परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दिनांक 14.03.2023 को सुबह 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 14.03.2023 समय 10.00 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री रामप्रकाश मीणा जमादार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में पुनः समझाईश की गयी। समय 10:10 एएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर कार्यालय में उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी सरपंच साहब से बात हुई है। उन्होने मुझसे एक-डेढ घण्टे में ज्योति नगर कॉलोनी बकानी स्थित मेरे मकान पर ही मिलने के लिए आने की कहा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर मालखाने से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर उसे खुलवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उसमें दो अलग-अलग लिफाफो में रखी रिश्वत राशि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के व 2,50,000रूपये मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी को श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 को निर्देश देकर परिवादी श्री बालमुकुन्द की पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रिश्वत राशि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के व बायीं जेब में 2,50,000रूपये मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी रखवायी गयी तथा श्री हर्ष कुमार कानि0 के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये तथा परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रखरखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर सुपुर्द किया गया। समय 10:30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा

श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि सरकारी वाहन में रखवाये तथा परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर, स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार, श्री रामप्रकाश मीणा तथा ब्यूरो स्टाफ श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425, श्री शिवराज कानि0 166 के मय सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन से बजानिब कस्बा बकानी के लिए ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 11:20 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के बकानी में स्थित ज्योति नगर कॉलोनी उसके निवास स्थान के नजदीक पहुंचा। परिवादी को सरकारी वाहन से उतार कर उसके घर के लिए पुनः हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप टीम के दूर से उसके घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर आने जाने वालों की निगरानी करते हुए मय ट्रेप टीम जाब्ते के अपने–अपने वाहनों में मुकीम रहे। कुछ समय बाद तीन व्यक्ति परिवादी के मकान की और मुड़कर अन्दर जाने वाली गली में प्रवेश करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री पवन कुमार कानि0 व श्री देवदान सिंह कानि0 को निर्देश देकर परिवादी के मकान की और जाने वाली गली की तरफ रवाना किया तो उन्होने वापस आकर बताया कि वह व्यक्ति परिवादी के मकान के अन्दर प्रवेश कर गये है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाब्ते के अपने–अपने वाहनों से गली के अन्दर प्रवेश कर वाहनों से उतर परिवादी के मकान के मुख्य द्वार के बाहर खड़े होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 11:40 एएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा ज्योति नगर कॉलोनी, बकानी में बालिका छात्रावास के पास गली में स्थित अपने मकान के मुख्य द्वार के बाहर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ ट्रेप कार्यवाही के लिए इंतजार में खड़ी ट्रेप पार्टी को अपने मकान के अन्दर स्थित कमरे के बाहर गेलरी में आकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फिराकर करने पर तत्काल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी के पास पहुँचा तो परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर अपने मकान के ड्राईंग रूमनुमा कमरे के अन्दर ले गया। परिवादी से पूर्व में रिश्वत लेन–देन के दौरान आरोपी से वार्तालाप करने हेतु सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात ट्रेप पार्टी को कमरे के अन्दर प्रवेश करता देख रूबरू स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष ड्राईंग रूम में रखे सोफे पर बैठे मजबूत कद काठी के पीली रंग की शर्ट व नीले रंग की जीन्स की पेन्ट पहने गौरे रंग के युवक ने ट्रेप पार्टी को देखते ही नोटो को गिनना बन्द कर बायीं तरफ फर्श पर 500–500रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटो की गड्डी को नीचे फेंक दिया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को बताया कि अभी–अभी जो नोट गिन रहे थे तथा जिन्होने आपको देखते ही नोटो की गड्डी को नीचे फर्श पर फेंक दिया है यह पीली शर्ट पहने हुए गौरे से युवक ही सरपंच साहब श्री रामबाबू मेघवाल है जिन्होने आपके आने से पूर्व मुझसे रिश्वत राशि के 3,00,000रूपये की मांग कर 50,000रूपये के नोटो की भारतीय मुद्रा की गड्डी इनको देने पर यह उनको गिनने लग गये थे तथा डमी राशि के 2,50,000रूपये मैंने अपने बायें हाथ में ले रखे थे। मौका पाकर इनके द्वारा 50,000रूपये के भारतीय मुद्रा नोटों की गड्डी को गिनने के दौरान मैंने कमरे के बाहर आकर तत्काल आपको पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया था जिस पर आप लोगों को मेरे मकान में स्थित ड्राईंग रूम के अन्दर आता देख सरपंच साहब ने नोटो को नीचे फर्श पर फेंक दिया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सोफे पर बैठे पीले रंग की शर्ट व नीले रंग की जीन्स की पेन्ट पहने हुए गोरे रंग के मजबूत कद काठी के युवक को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह युवक अत्यन्त घबरा गया तथा घबराकर सोफे से खड़ा हो गया जिसका दायां हाथ कलाई से ऊपर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 व बायां हाथ कलाई से ऊपर श्री देवदान सिंह कानि0 से पकड़वाकर पुनः सोफे पर बिठाया गया तथा तसल्ली देकर उसका नाम पता पूछा तो उस युवक ने रूबरू स्वतंत्र गवाहान अपना नाम रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर से रिश्वत राशि के 3,00,000रूपये में से 500–500रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटो की गड्डी के 50,000रूपये प्राप्त करने तथा गिनने एवं ट्रेप पार्टी को देखने के पश्चात् रूबरू स्वतंत्र गवाहान रिश्वत राशि को फर्श पर नीचे फेंकने के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर ने बताया कि मैं करीब तीन वर्ष से ग्राम पंचायत देवनगर का सरपंच हूं तथा लगभग ढाई साल से श्री बालमुकुन्द गुर्जर मेरी ग्राम पंचायत देवनगर का ग्राम विकास अधिकारी का कार्य देख रहे है। इनके पदस्थापन के दौरान पिछले वित्तिय वर्ष 2021–22 में पंचायत में मनरेगा योजना के तहत मॉडल स्कूल में खेल मैदान, इन्टरलोकिंग खरन्जा, नाली निर्माण कार्य भूमाड़ी रोड़ तक निपानीया दल्ला, देवनारायण मन्दिर के सामने भूमाड़ा तथा सुभाष के मकान से शिव मन्दिर तक देवनगर में निर्माण कार्य तथा नाला निर्माण कार्य मैन रोड़ से मांगीलाल के मकान की और के कार्य का 46लाख रूपये का टेण्डर दिनांक 26 जून 2021 को फर्म श्रीराम ट्रेडर्स बकानी जिला झालावाड़ को दिया था। फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य पूर्ण

किये जाने के पश्चात् मेरे व श्री बालमुकुन्द गुर्जर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फर्म श्रीराम ट्रेडर्स का पूर्णता प्रमाण–पत्र भी जारी कर दिया गया था। फर्म श्रीराम ट्रेडर्स बकानी द्वारा खेल मैदान कार्य भूमाड़ा के कार्य का बिल संख्या 36 तथा नाला निर्माण कार्य मांगीलाल के मकान, देवनगर तक के कार्य का बिल संख्या 35 का भुगतान अभी बकाया चल रहा है जिसका लगभग 4,00,000रूपये राशि का भुगतान होना शेष है जिनके बिल पंचायत समिति बकानी में पेण्डिंग चल रहे है। फर्म श्रीराम ट्रेडर्स बकानी का कार्य देखने वाले श्री निर्मल शर्मा निवासी मोलक्या खुर्द थाना बकानी जिला झालावाड़ द्वारा कराये गये समस्त कार्यों के लगभग 46लाख रूपयों का 7प्रतिशत फर्म कमीशन के रूप में 3.22लाख रूपये देने की बात हुई थी परन्तु फर्म द्वारा उसको लगभग 39लाख रूपये के बिलों का पिछले वित्तिय वर्ष में भुगतान होने के उपरान्त भी कमीशन राशि के 3.22 लाख रूपये नहीं दिये जाने पर मैंने श्री बालमुकुन्द गुर्जर ग्राम विकास अधिकारी को कहा था कि तुम मुझे कमीशन की राशि के 3.22 लाख रूपये दिलवाओ। इस पर उन्होने कहा कि कार्य का भुगतान राशि फर्म के खातों में जमा हुई है। तुम फर्म का कार्य देखने वाले श्री निर्मल शर्मा से सीधे ही बात करके अपना कमीशन ले लो। इस पर मैंने कहा कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा मुझे तुम 3.22 लाख रूपये कमीशन के लाकर दोगें। इस बात को लेकर मैंने इनसे कई बार बातचीत की थी। दिनांक 10.03.2023 को मैं श्री बालमुकुन्द गुर्जर ग्राम विकास अधिकारी निवासी बकानी के बकानी स्थित आवास पर गया था वहां मेरे साथ मेरे ताऊजी श्री नन्दलाल जी, पूर्व सरपंच श्री रामलाल दांगी तथा मेरे पिताजी श्री बालचन्द जी भी मेरे साथ थे। वहां पर इन्होने मुझे कहा था कि मैं 3,00,000रूपये तुमको सोमवार को दे दूंगा। इस पर मैंने हां कर दी थी। सोमवार को श्री बालमुकुन्द गुर्जर मुझे पंचायत समिति बकानी के बाहर मिले थे परन्तु मेरे साथ और भी अन्य लोग होने के कारण मैंने इनसे रूपये नहीं लिये थे। उसके बाद आज बालमुकुन्द जी ने उनके घर पर बुलाकर मुझे कहा कि मैं तुम्हारे 3,00,000रूपये दे रहा हूं। इस पर उन्होने मुझे उनके मकान के ड्राईंग रूम में सोफे पर बिठाकर 500–500रूपये के नोटो की गड्डी देने पर मैं उन्हे गिनने लग गया था इसी दौरान आप सभी लोगों को कमरे में आता देख मैं घबराकर नोटो की गड्डी को गिनना बन्द कर नीचे फर्श पर फेंक दिया था। मैंने मेरी ग्राम पंचायत देवनगर में मनरेगा योजना के तहत कराये गये 46लाख रूपये के कार्यों का 7प्रतिशत कमीशन के रूप में लेने के लिए यह राशि ली थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह यह रिश्वत राशि होती है और मुझे यह राशि ग्राम विकास अधिकारी से नहीं मांगनी चाहिए थी और ना ही लेनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ करें। आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा रूबरू स्वतंत्र गवाहान दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा खण्डन करते हुए बताया कि साहब श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच साहब झूठ बोल रहे है। मैं ईमानदार अधिकारी हूं तथा ढ़ाई वर्ष से ग्राम पंचायत देवनगर का कार्य कर रहा हूं। मेरे द्वारा श्रीराम ट्रेडर्स बकानी द्वारा कराये गये कार्यों की एवज में एक रूपया भी रिश्वत राशि नहीं ली है और ना ही मैंने किसी प्रकार की कोई कमीशन दिलवाने की बात सरपंच साहब श्री रामबाबू मेघवाल व श्रीराम ट्रेडर्स बकानी का कार्य देख रहे श्री निर्मल शर्मा जी से करायी है। यदि सरपंच साहब की फर्म से कमीशन से सम्बंध में कोई बातचीत तय हुई होगी तो सरपंच साहब को सीधे ही फर्म से कमीशन के रूपये लेने चाहिए थे, परन्तु श्रीराम ट्रेडर्स द्वारा कराये गये 46लाख रूपये के कार्यों का 7प्रतिशत के हिसाब से 3.22 लाख रूपये कमीशन राशि नहीं देने पर इनके द्वारा मुझ पर फर्म से राशि दिलवाने अथवा फर्म द्वारा नहीं देने की दशा में स्वंय द्वारा 3.22 लाख रूपये देने का दबाव बनाया जा रहा था। मेरे खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया गया था तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी द्वारा इनको मुझे हटाने का लिखित में आश्वासन देने पर भी यह संतुष्ट नहीं हुए तथा मेरा अन्यत्र स्थानान्तरण कराने हेतु जिला प्रमुख झालावाड़ से भी जाकर मिल रहे है तथा मुझे निलम्बित कराने व नौकरी से निकलवाने के लिए भी एकजुट हो गये है। इसके पीछे यही कारण है कि मेरी कोई गलती नहीं होने पर भी मेरे जैसे ईमानदार अधिकारी को ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने व पैसा खाने के लिए हटवाना चाहते है। मुझे मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान करने पर मैंने दिनांक 10.03.2023 को आपके कार्यालय में जाकर श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर को ट्रेप कराने बाबत् प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर आप द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उसी रोज श्री देवदान सिंह जी को मेरे साथ मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराने के लिए भिजवाया था। इनके बारे में बकानी में ही होने की जानकारी मिलने पर यह मेरे ज्योति नगर कॉलोनी बकानी आवास पर आये थे जहां पर मैंने इनसे 3.22लाख रूपये रिश्वत राशि मांगने के सम्बंध में सत्यापन वार्तालाप की थी। मेरे द्वारा कहने पर यह 3,00,000रूपये रिश्वत राशि देने पर मान गये थे तथा इन्होने कहा था कि सोमवार को 3,00,000रूपये रिश्वत राशि लेकर पंचायत समिति बकानी में आ जाना। मेरे पास रिश्वत राशि देने के लिए केवल 50,000रूपये की व्यवस्था होने पर शेष 2,50,000रूपये की डमी राशि देने के लिए मैंने झालावाड़ में मनोरंजन बैंक के 500–500रूपये के नोटों की पांच गड्डियां खरीदी थी तथा रिश्वत राशि के 50,000रूपये के साथ सुपुर्द की थी। जिस पर सोमवार को ट्रेप कार्यवाही करने के लिए पंचायत समिति बकानी आये थे परन्तु सरपंच साहब के साथ 3–4 अन्य व्यक्ति होने के कारण उन्होने मुझसे रिश्वत राशि नहीं ली तथा यह कहकर चले गये कि अभी एक घण्टें बाद वापिस आता हूं। काफी इंतजार करने तथा सरपंच साहब के नहीं आने पर ट्रेप पार्टी के साथ में

भी झालावाड़ लौट गया था तथा आज श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच से वार्तानुसार उनके मेरे ज्योति नगर कॉलोनी आवास पर आने का कहने पर उनके आने पर 50,000रूपये रिश्वत राशि के सम्बंध में बातचीत कर उनके द्वारा मुझसे ग्रहण कर गिनकर ली थी इनके द्वारा गिनती करने के दौरान ही मैंने आपको पूर्व निर्धारित ईशारा कर दिया था तथा ट्रेप पार्टी को देखकर नीचे फर्श पर फेंक दी थी। मैंने श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच को यह रिश्वत राशि उनके मांगने पर दी है। यह कोई कमीशन राशि नहीं है और ना ही किसी फर्म द्वारा मुझे कमीशन राशि दी गयी है। तत्पश्चात् आरोपी के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में अलग-अलग सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर एक कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को गिलास के घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार को आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच द्वारा फर्श पर फेंकी गयी रिश्वत राशि को उठाने के निर्देश दिये जाने पर स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार 500-500 रूपये के नोटो की थेई फर्श से उठाकर पेश की। नोटो की थेई की गिनती करवाने पर 500-500 रूपये के कुल 100 नोट कुल राशि 50,000रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात अन्य गवाह श्री रामप्रकाश मीणा को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने फर्श पर फेंके गये बरामद नोटो की थेई के नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो से मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 50,000 रूपये भारतीय मुद्रा के होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 GV 701173
2.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	6 EU 153832
3.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 NE 355930
4.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1 NN 516570
5.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2 AW 254750
6.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2 BP 308103
7.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 LU 080184
8.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7 PH 257258
9.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5 EN 046735
10.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	8 HV 248508
11.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 DT 520259
12.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4 KP 164241
13.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7 BP 480704
14.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5 AQ 981391
15.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1 DS 819460
16.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5 MR 087532
17.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	3 FA 694128
18.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	2 TQ 553965
19.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	5 RD 578137
20.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7 NH 978908
21.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4 WP 543395
22.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	7 AH 708393
23.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	1 BC 433755
24.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 TS 105685
25.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4 EM 401763
26.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4 LM 685196
27.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	8 RN 752302
28.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	4 NV 926399
29.	एक नोट 500/-रूपये का नम्बर	0 EK 884228

30.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 FU 165847
31.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 FU 165846
32.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 FU 165845
33.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 WP 554630
34.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6 SD 122321
35.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7 RP 083181
36.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9 DT 287438
37.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6 BR 105590
38.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 AQ 076304
39.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 ET 839318
40.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 FS 849116
41.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 EA 392581
42.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5 FE 457625
43.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2 WP 088384
44.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6 KD 826506
45.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 PS 401228
46.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1 EG 099705
47.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 FB 136584
48.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 KN 281723
49.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 KF 980857
50.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5 WH 482275
51.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5 UR 776572
52.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 RQ 589281
53.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9 UT 105836
54.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 FA 489183
55.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 BQ 681812
56.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6 DM 208737
57.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 MR 526914
58.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 TN 063518
59.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 RW 624288
60.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1 GW 701128
61.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 AV 061352
62.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2 PE 630669
63.`	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9 WF 901566
64.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9 CQ 000308
65.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2 RT 265831
66.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 EC 235856
67.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 QH 102732
68.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 BE 825758
69.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7 UB 622749
70.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 MA 957447
71.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 CD 614385
72.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7 WR 496988
73.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 VN 340096
74.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6 NV 695224
75.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 VK 602629
76.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 RA 287381
77.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 KS 791540
78.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 MQ 550147
79.`	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 KD 303702

80.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5 GK 173871
81.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 SL 509015
82.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2 EB 300950
83.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2 UQ 069310
84.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1 SL 401933
85.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 PG 029442
86.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 TG 477800
87.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4 DK 505114
88.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 KF 742499
89.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1 BG 743232
90.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 DT 951413
91.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1 EG 099706
92.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5 RS 498671
93.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 CL 085842
94.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 KD 303716
95.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8 HL 338918
96.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 DF 039342
97.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0 LV 121554
98.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	3 CM 132038
99.`	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	7 FR 317482
100.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9 GK 638293

उक्त बरामद नोटों को दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार से प्राप्त कर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा एक कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर लिफाफे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके अतिरिक्त परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा बायें हाथ में लिये हुए 2,50,000रूपये भारतीय मुद्रा जैसे दिखने वाले मनोरंजन बैंक के 500–500 रूपये के नोटो की डमी करेंसी की गड्डियों को भी स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार के जरिये परिवादी से प्राप्त कर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को सुपुर्द करवाकर एक अन्य कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर लिफाफे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के मकान में स्थित ड्राईग रूम में रखे हुए सोफे के पास बायीं और फर्श पर फेंकी गयी रिश्वत राशि की बरामदगी के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा एक साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर फर्श का वह स्थान जहां पर आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के द्वारा रिश्वत राशि को फर्श पर फेंके उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से रगड़ कर उस चिन्दी को सोडियम कार्बोनेट के गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का एफ–1, एफ–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा फर्श पर रिश्वत राशि बरामदगी स्थल के धोवन में काम में ली गयी कपड़े की चिन्दी को हवा में सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील–मोहर चिट कर मार्का सी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार द्वारा लिवायी गयी तो तलाशी में आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के पास उसके पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई नकदी अथवा बरामद योग्य वस्तु नहीं मिली। चूंकि परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के ज्योति नगर कॉलोनी, बकानी स्थित आवास की गली में तथा आस–पास काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा गोपनीय तौर पर राजकार्य में व्यवधान पैदा करने की जानकारी मिली है। ऐसी स्थिती में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के आवास के नजदीक ही स्थित पंचायत समिति बकानी कार्यालय के लिए हमराह लाये गये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के ट्रेप पार्टी व आरोपी को साथ लेकर रवाना हुआ तथा कार्यालय पंचायत समिति, बकानी पहुंचकर वहां उपस्थित श्री नरवर सिंह लोधा सहायक विकास अधिकारी को अपना परिचय देते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त प्रकाश, बिजली सुविधा व कार्य करने हेतु टेबल कुर्सी लगा हुआ कोई उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया तो, सहायक विकास अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी, बकानी का खाली पड़ा चेम्बर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया गया। इस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी के चेम्बर में प्रारम्भ की गयी। पूर्व

में परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को आरोपी से रिश्वत लेनदेन के दौरान की गयी वार्तालाप हेतु सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है, जिसे पंचायत समिति, बकानी में ही लेपटोप में लिवायी जाकर सुन–सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता व सीडी डब कर फर्द डबिंग सीडी तैयार की जावेगी। परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर से फर्म श्रीराम ट्रेडर्स द्वारा ग्राम पंचायत, देवनगर में वित्तिय वर्ष 2021–22 के दौरान मनरेगा के तहत कराये गये 46लाख रूपये के कार्यों के सम्बंध में जारी किये गये टेंडर तथा फर्म श्रीराम ट्रेडर्स के खाते में कार्यों के भुगतान की एवज में जमा करायी गयी राशि तथा इस वित्तिय वर्ष में पेश किये गये बिलों के भुगतान की पेण्डिंग राशि सम्बंधी बिलों व दस्तावेजों की प्रमाणित फोटोप्रतियां प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 03:00 पीएम पर परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर एवं आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ व सरपंच के साथ आये अन्य व्यक्ति के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता के संबंध में दिनांक 14.03.2023 को आपस में परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के ज्योति नगर, बकानी में स्थित मकान पर हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ता को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डी.वी.आर. में रिकॉर्डेड वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कॉनि. 425 को निर्देश देकर सुन–सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता टाईप करवाना प्रारंम्भ कराई गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता को डीवीआर चलाकर सुना गया तो, रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच व तीसरी आवाज अन्य व्यक्ति की होना सुनकर पहचान कर बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू लेपटॉप पर टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04:20 पीएम पर ब्यूरो स्टाफ की निगरानी में आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच को पंचायत समिति बकानी में ही छोड़कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर व ब्यूरो जाब्ते में से श्री शिवराज कानि. 166, श्री देवदान सिह कानि. 425 को साथ लेकर घटनास्थल परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर का कस्बा बकानी में स्थित ज्योति नगर कॉलोनी में स्थित मकान के लिए रवाना हुआ। समय 04:30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बाद नक्शा मौका मुर्तिब कर घटनास्थल से रवाना होकर पंचायत समिति बकानी पहुंचा। समय 05:00 पीएम पर दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर एवं आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच व अन्य के मध्य आपस में रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.03.2023 को समय 07.50 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 14.03.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर एवं आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच व अन्य के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.03.2023 को समय 03.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन सीडीयों को सील मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:30 पीएम पर आरोपी श्री रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के ज्योति नगर, बकानी में स्थित मकान में रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बंधित वार्ता तथा आज दिनांक 14.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर के ज्योति नगर, बकानी में स्थित मकान में वक्त रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर से आपकी वार्ता हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:45 पीएम पर आरोपी श्री रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की

जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री योगेश कुमार से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार पंचायत समिति बकानी में मौजूद उसके पिताजी श्री बालचन्द मेघवाल को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 06:10 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक को निर्देश देकर आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच के निवास स्थान सहकारी गोदाम के पास देवनगर की खाना तलाशी हेतु श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक के साथ दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री योगेश कुमार, श्री रामप्रकाश मीणा व ब्यूरो स्टाफ श्री गोपाल लाल हैड कानि. 26, श्री देवदान सिंह कानि. 425, श्री शिवराज कानि. 166 मय सरकारी वाहन बालेरो मय चालक के देवनगर के लिए रवाना किया गया। समय 08:00 पीएम पर श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान जाब्ता के आरोपी श्री रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल निवासी सरकारी गोदाम के पास देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लेकर पंचायत समिति बकानी में हाजिर आये तथा फर्द खाना तलाशी दिनांक 14.03.2023 समय 06.30 पीएम की मुर्तिब शुदा पेश की जिसका बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 08:10 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् पंचायत समिति, बकानी से परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर को रूखसत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के व 2,50,000रूपये डमी करेंसी मनोरंजन बैंक के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 09:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपी के साथ सरकारी व प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। समय 09:05 पीएम पर आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया। समय 09:30 पीएम पर आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल को वास्ते सुरक्षा पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द कर श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 कार्यालय में हाजिर आये।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 10.03.2023 को परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष निवासी लोढ़ाखेड़ा हाल निवास बालिका छात्रावास के पास ज्योति नगर कॉलोनी बकानी थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रिछवा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत देवनगर में वित्तिय वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत फर्म श्रीराम ट्रेडर्स द्वारा देवनगर, भूमाड़ा, निपानिया दल्ला गांव में खेल मैदान, इण्टरलोकिंग खरन्जा व नाली निर्माण कार्य करवाये गये थे। उक्त सभी कार्यों के कुल 46 लाख रूपये की राशि के बिलों में से राशि 39.86 लाख रूपये के बिलों का भुगतान फर्म श्रीराम ट्रेडर्स को किये गये भुगतान तथा फर्म के शेष 3.85 लाख रूपये के बिलों का भुगतान फर्म को दिलवाने की एवज में 46लाख रूपये का 7 प्रतिशत के हिसाब से कुल 3.22लाख रूपये रिश्वत राशि की श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा मांग की गयी। परिवादी श्री बालमुकुन्द गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने एवं रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी दिन दिनांक 10.03.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा 3,00,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर सहमति देने की पुष्टि होने पर दिनांक 14.03.2023 को आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच को 3,00,000रूपये रिश्वत राशि (50,000रूपये भारतीय मुद्रा के नोट व 2,50,000रूपये डमी करेंसी) में से 50,000रूपये भारतीय मुद्रा के नोट परिवादी से प्राप्त कर गिनते हुए तथा ट्रेप पार्टी को देखकर नीचे फेंकने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल के दोनों हाथों व रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिये जाने पर धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र व ट्रेप कार्यवाही के समय मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत देवनगर के गांव भूमाड़ा में फर्म द्वारा विगत वित्तिय वर्ष में कराये गये खेल निर्माण कार्य का बिल संख्या 36 तथा नाला निर्माण कार्य मांगीलाल

के मकान तक के कार्य का बिल संख्या 35 की भुगतान राशि 4,00,000रूपये के करीब के बिलों की राशि पेण्डिंग होना आदि पाया गया है। आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.03.2023, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.03.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट इत्यादि से आरोपी श्री रामबाबू मेघवाल सरपंच का कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रामबाबू पुत्र श्री बालचन्द जाति मेघवाल उम्र 24 साल निवासी सहकारी गोदाम के पास, देवनगर हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामबाबू, सरपंच, ग्राम पंचायत देवनगर, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 61/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 483-86 दिनांक 15.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

15.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।